

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मोमन्यार में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अंजना कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	52.61
2)	7.1 (क), 7.2 व 7.3	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.31
3)	7.4 व 7.5	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.09
4)	8.1	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	2.07
5)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.25
6)	8.3	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.23
7)	8.4	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.15
8)	9.1	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	51.43
9)	9.2	मनरेगा शीर्ष से मजदूरी के रूप में अनियमित भुगतान	0.15
10)	9.3	अनुदान प्लानिंग शीर्ष से अनियमित भुगतान	0.05
11)	9.4	अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	20.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 0201881 दिनांक 29.07.2016 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा-4 व 4.1	निर्णीत	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा-5 (क)	निर्णीत	गृहकर की वसूली की पुष्टि उपरांत।
4.	पैरा-5 (ख)	निर्णीत	गृहकर मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर की सत्यापना उपरांत।
5.	पैरा-5 (ग)	निर्णीत	दुकान किराये की वसूली की पुष्टि उपरांत।
6.	पैरा- 6	अनिर्णीत	
7.	पैरा-7	अनिर्णीत	
8.	पैरा-8	निर्णीत	अनुपालना की सत्यापना उपरांत।
9.	पैरा-9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित
10.	पैरा-10	अनिर्णीत	
11.	पैरा-11 (क व ख)	अनिर्णीत	
12.	पैरा-12	निर्णीत	अधिक भुगतान की गई ₹504 की वसूली सम्बन्धित से कर ली गई है, जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 121 व 122 पर कर दिया गया है।
13.	पैरा-13	अनिर्णीत	
14.	पैरा-14	अनिर्णीत	
15.	पैरा-15	अनिर्णीत	
16.	पैरा-16	अनिर्णीत	
17.	पैरा-17	अनिर्णीत	
18.	पैरा-18	अनिर्णीत	
19.	पैरा-19	अनिर्णीत	
20.	पैरा-20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।

21.	पैरा-21	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।
-----	---------	---------	--

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अशवनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 08.01.2024 से 12.01.2024 तक ग्राम पंचायत मोमन्यार के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/2022	07/2021
2022-23	11/2022	07/2022

“इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी ग़लत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा”

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 42/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281083

दिनांक 16/01/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4.1 वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान सात रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), अनुदान (प्लानिंग शीर्ष), स्वच्छ भारत मिशन (SBM), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग (Online), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2021-22	4492800.71	9151424	13644224.71	7884145.65	5760079.06
1	2022-23	5760079.06	11063484	16823563.06	11562513	5261050.06

4.2 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मोमन्यार के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹39332/-** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1 का अंतशेष	5261050.06
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	5300382.06
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्रोत व अनुदान)	0.00
4)	योग (2+3)	5300382.06
5)	अन्तर (4-1)	39332.00

4.3 अंतर के कारण :-

दिनांक 04.09.22, 14.12.22 व 05.03.23 को ₹13772, ₹12221 व ₹13339 कुल ₹39332 बैंक द्वारा 15वें वित्तायोग शीर्ष में ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.23 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया।

4.4 दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB BANGANA (Own & GIA)	20034024194	465203.60
2	KCCB BANGANA (PLANING)	20034056206	1336602.00
3	PNB KHURWAIN (15 th FC)	2661000100071732	2546695.46
4	KCCB THANAKALAN (PMGAY)	50070790015	951881.00
5	KCCB THANAKALAN (14 TH FC)	50068277892	0.00
		योग	5300382.06
		हस्तगत राशि (Own & GIA)	0.00
		योग (1+2)	5300382.06

4.5 खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियाँ नहीं बनाई गई थी। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण

प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹52.61 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि (परिशिष्ट क) पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹5261050.06 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख की वसूली हेतु शेष :-

- (क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में

अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹24960/- (परिशिष्ट ख अनुसार) वसूली हेतु शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	54700	13120	67820	55980	11840
2022-23	11840	13120	24960	0	24960

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.01 लाख की वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के प्रत्युत्तर में यथा (परिशिष्ट - ग) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹800 वसूली हेतु शेष थी। अतः दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने के उपरांत यह राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	0	18000	18000	15600	2400
2022-23	2400	18000	20400	19600	800

7.3 मोबाइल टावर शुल्क ₹0.05 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के प्रत्युत्तर में यथा (परिशिष्ट -घ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार मोबाइल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹5000/- वसूली हेतु शेष थी जिसे सूचना प्रौद्योगिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of Way Policy – 2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FO5(23)/1/2017-I.T. Section –GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है। अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अतः मोबाइल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1)	Reliance 1	5000
	कुल योग	5000

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹7400 को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2021-22	4600
2	2022-23	2800
	योग	7400/-

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32/2024 दिनांक 09.01.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 3/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.5 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान **निम्न वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹2000 की कम वसूली गई थी :-

क्रम संख्या	नाम	रसीद संख्या	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1	Ajay kumar	907232	27-04-2021	07-06-2021	400	200	200

2	Vipan kumar	907233	04-05-2021	09-06-2021	400	200	200
3	Lakhvinder kumar	907234	08-05-2021	10-06-2021	400	200	200
4	Vikram singh	907240	22-04-2021	23-06-2021	400	200	200
5	Pardeep kumar	907241	23-04-2021	25-06-2021	400	200	200
6	Varun sharma	907254	12-08-2021	22-09-2021	400	200	200
7	Vikram singh	907257	08-10-2021	11-11-2021	400	200	200
8	Deep kumar	26232	29-09-2022	31-10-2022	400	200	200
9	Sulinder kumar	26244	09-12-2022	13-02-2023	400	200	200
10	Vivek kumar	26248	15-02-2023	24-03-2023	400	200	200
						कुल योग	2000/-

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/2024 दिनांक 09.01.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली रसीद संख्या 26292 से 26301 दिनांक 12/01/2024 द्वारा कर ली गई है जिसे राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा। उक्त राशि को बैंक में दिनांक 17.01.24 को जमा करके रखा गया है। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹2.07 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 07/2021 व 07/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न परिशिष्ट "ड." अनुसार ₹206500/- का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34/2024 दिनांक 10/01/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹206500/- के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना

अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2022 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए परिशिष्ट च पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹1232400/- (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्रोत पर ₹24648/- की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	07/2022	श्री रमेश कुमार गांव खुरवाई	बजरा, बजरी	715880	14318 (2% x 715880)
2	07/2022	M/s राणा कंस्ट्रक्शन गांव खुरवाई	रेत	516520	10330 (2% x 516520)
				योग	24648/-

अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2024 दिनांक 11/01/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹24648/- जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरान्त इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.23 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय

वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹22562 की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40/2024 दिनांक 21/01/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	फर्म का नाम व पता	बिल संख्या व दिनांक	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	अनुदान प्लानिंग शीर्ष	11	07/21	SAI SALES UNA	152,145 29/04/21	पेंट का सामान	22562

8.4 ₹1.15 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 07/2021 में अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार ₹114901 की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व माह	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)	8 07/21	1015 25/09/20	KULWANT ENTERPRISES VILL. BOUL	स्टील	24442
2	अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)	10 07/21	240 TO 243 20/09/20	GURDEV TRADING CO.	सेनेटरी का सामान	67897

				AMBEHRA		
3	अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)	11 07/21	152,145 29/04/2021	SAI SALES UNA	पेंट का सामान	22562
					योग	114901/-

उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39/2024 दिनांक 11/01/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मोमन्यार के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.1 ₹51.43 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2021 व 07/2022 में निम्न विवरणानुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत ₹5142877 का भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	मनरेगा	07/21	C/O NIRMAN LINK ROAD JATTA HARIJANA LUDER CHILLE DA WARA MOHKHAS	866850 25/06/21	सीमेंट	99892
2	मनरेगा	07/21	C/O LINK ROAD MAIN ROAD TO MANOHAR LAL	866850 25/06/21	सीमेंट	558220
3	मनरेगा	07/21	C/O LINK ROAD MAIN	866850	सीमेंट	411320

			ROAD TO GURCHARAN SINGH	25/06/21		
4	मनरेगा	07/21	C/O LINK ROAD MOHKHAS COMMUNITY CENTRE TO MAHINDER SINGH	866850 25/06/21	सीमेंट	484770
5	मनरेगा	07/21	C/O LINK ROAD SHAMSHANGHAT TO HARIZANA BASTI	866850 25/06/21	सीमेंट	411320
6	मनरेगा	07/21	C/O LINK ROAD JHAMBER ROAD TO HARDEEP, RANJIT	866850 25/06/21	सीमेंट	176280
7	मनरेगा	07/21	C/O POUND ETC (PANCHWATI) GP MOMNIAR	866850 25/06/21	सीमेंट	23504
8	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD TO MANOHAR LAL, JAGDEV	1,3,7,9,13,26 ,27,102,116, 197 DTD. 24,25,26,27/ 12/2021, 09/02/2022, 26/12/2021, 23,25/03/20 22	रेत,बजरी, बोर्ड, ढुलाई इत्यादि	375792
9	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD MAIN ROAD TO GURCHARAN SINGH	2,4,8,10,25,2 6,28,102,117 ,196 DTD. 24,25,26/12/ 2021, 09,10/02/20 22, 26/12/2021, 23,25/03/20 22	रेत,बजरी, बोर्ड, ढुलाई इत्यादि	330539
10	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD COMMUNITY CENTRE MOHKHAS TO DHIYAN	042514 10/01/22	सीमेंट	146900

			CHAND			
11	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD ABADI OM PARKASH TO JATTAN	042512 10/01/22	सीमेंट	235040
12	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD PULLY MAIN ROAD TO HARIZANA BASTI	42513 10/01/2022	सीमेंट	293800
13	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD MOHKHAS COMMUNITY CENTRE TO MAHINDER	2,4,8,10,12,2 3,25,104,119 ,122,1318,19 8 DTD. 24,25,26/12/ 2021, 09/02/2022, 26/12/2021, 24,25/03/20 22	रेत,बजरी, बोर्ड, दुलाई इत्यादि	443644
14	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD SHAMSHANGHAT TO HARIZANA BASTI	5,6,27,107,1 15,199 DTD. 26/12/2021, 09/02/2022, 26/12/2021, 23,25/03/20 22	रेत,बजरी, बोर्ड, दुलाई इत्यादि	139019
15	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD JHAMBER ROAD TO HARDEEP, RANJIT	1,3,7,9,11,24 ,103,118,121 ,1313,195 DTD. 24,25,26/12/ 2021, 09/02/2022, 26/12/2021, 23,24/03/20 22, 25/02/2022, 25/03/2022	रेत,बजरी, बोर्ड, दुलाई इत्यादि	417995
16	मनरेगा	07/22	C/O LINK ROAD MAIN NH KUWARI TO SAKON BOUNDARY	42511 10/01/2022	सीमेंट	440700

17	मनरेगा	07/22	C/O RWHT GPS BOUL	1322 28/02/2022	स्टील	20790
18	अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)	07/21	C/O पंचायत सामुदायिक केंद्र	99 20/09/2020	रेत, बजरी, बोर्ड, ढुलाई इत्यादि	42893
19	अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)	07/21	C/O पंचायत सामुदायिक केंद्र	240 TO 243 20/09/2020	सेनेटरी का सामान	67897
20	अनुदान (प्लानिंग शीर्ष)	07/21	कम्प्लीशन पंचायत सामुदायिक केंद्र	152, 145 29/04/2021	पेंट का सामान	22562
					योग	5142877/-

उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35/2024 दिनांक 10/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं खंड विकास कार्यालय बंगाणा में अनुरक्षित है, जिसे सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.2 मनरेगा शीर्ष से ₹0.15 लाख का मजदूरी के रूप में अनियमित भुगतान करने बारे:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 07/2022 में मनरेगा शीर्ष से करवाया गया निर्माण कार्य C/O COMMUNITY SANITARY COMPLEX SC ABADI NEAR SANTOSHI MATA MANDIR KHURWAIN हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 1158 व 1811 द्वारा ₹19080/- व ₹13992/- कुल ₹33072/- का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 957 के पृष्ठ संख्या 70 से 71 पर ₹17655 का अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा ₹15417/- (33072-17655) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38/2024 दिनांक 11/01/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की वसूली करके राशि को मनरेगा खाता संख्या

4193000100031015 दिनांक 12.01.2024 को जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई है।

9.3 अनुदान प्लानिंग शीर्ष से ₹0.05 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित मास 07/2021 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्य PANCHAYAT COMMUNITY CENTRE हेतु प्रयोग की गई निर्माण सामग्री रेत के क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी, जिसमें फर्म राणा कंस्ट्रक्शन गांव खुरवाई से ₹766/- प्रति घन मीटर की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी, परन्तु पंचायत द्वारा उक्त फर्म को ₹891/- प्रति घन मीटर की दर से अर्थात् ₹125/- प्रति घन मीटर की दर से अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त फर्म को निम्न विवरणानुसार ₹5000/- का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 41/2024 दिनांक 12/01/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की वसूली रसीद संख्या 26303 दिनांक 12/01/2024 द्वारा कर ली गई है। उक्त राशि को बैंक में दिनांक 17.01.24 को जमा करवा दिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह	मात्रा (प्रति घन मीटर)	भुगतान योग्य दर (₹)(प्रति घन मीटर)	भुगतान की गई दर (₹)	अन्तर	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	9	07/2021	40	766	891	125	5000

9.4 अग्रिम राशि ₹20.00 लाख समायोजन हेतु शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के क्रम संख्या 11 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा को सीमेंट के क्रय हेतु निम्नानुसार ₹3281746/- का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.23 तक उक्त राशि में से ₹1281261.6 का समायोजन ही हुआ। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा से उक्त राशि में से असमायोजित राशि ₹2000484.40 को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	शीर्षका नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/23 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/23 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
1	मनरेगा	0866850 26.06.2021	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	2165306	1281261.60	884044.40
2	मनरेगा	42514 10/01/2022	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	146900	0	146900
3	मनरेगा	42512 10/01/2022	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	235040	0	235040
4	मनरेगा	42513 10/01/2022	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	293800	0	293800
5	मनरेगा	42511 10/01/2022	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	440700	0	440700
				योग	3281746	1281261.6	2000484.4

10 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27/2024 दिनांक 08.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2024 दिनांक 08.01.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 12/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद

प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 निष्कर्ष:- लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है |

04 MAR 2024



(मनजीत भाटिया)

सहायक निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

1151 — 1155



पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)8 / 2016-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. सचिव, ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

04 MAR 2024




(मनजीत भाटिया)

सहायक निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009




पंचायत सचिव संवर्धन पुराशाले

ग्राम पंचायत विकास खण्ड बंगाला व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	4492800.71	9151424	13644224.71	7884145.65	5760079.06
2	2022-23	5760079.06	11063484	16823563.06	11562513	5261050.06


Panchayat Secretary
Gram Panchayat Moranhar
Teh. Bangana Dist. Una(H.P.)

~~25~~ 24

6/15/1919


स्वयं स्वीत व अनुदान (समीकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	501356.25	497427	998783.25	494671.65	504111.6
2	2022-23	504111.6	429093	933204.6	468001	465203.6

अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	186505	1771639	1958144	778777	1179367
2	2022-23	1179367	1199082	2378449	1041847	1336602

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2022-23	0	362328	362328	362328	0


15वां वित्तियोग (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	698586.46	1507338	2205924.46	70512	2135412.46
2	2022-23	2135412.46	1645901	3781313.46	1273950	2507363.46

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	5299305	5299305	5299305	0
2	2022-23	0	7383113	7383113	7383113	0


 Panchayat Secretary
 Panchayat No. 117
 Bahadurganj Distt. Block (117)



 25

14वां वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय व्यय सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1031428	31287	1062715	47008	1015707
2	2022-23	1015707	17567	1033274	1033274	0


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat Momanlar
 Teh. Bangara Distt. Una (H.P.)

~~25~~
 26


प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्राथमिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	2074925	44428	2119353	1193872	925481
2	2022-23	925481	26400	951881	0	951881


 R. P. W.
 Gram Panchayat, Muzaffarpur
 P.O. Bhatkhera, Distt. Munger (Bihar)



27

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	5261050.06
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	5300382.06
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	योग (2+3)	5300382.06
5)	अन्तर (5-1)	39332.00



Panchayat Secretary
Gram Panchayat Momaniar
Teh. Bangar Dist. Una (H.R.)

-२-

परिशिष्ट - क-1

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB BANGANA (Own &GIA)	20034024194	465203.60
	KCCB BANGANA (PLANING)	20034056206	1336602.00
	PNB KHURWAIN (15 th FC)	2661000100071732	2546695.46
	KCCB THANAKALAN (PMGAY)	50070790015	951881.00
	KCCB THANAKALAN (14 TH FC)	50068277892	0.00
		योग	5300382.06
2		हस्तगत राशि (Own & GIA)	0.00
		योग (1+2)	5300382.06


Panchayat Secretary
Gram Panchayat Manawala
Teh. Bangana Dist. Una (H.R.)

~~28~~

पैरा संख्या 7.1६में संदर्भित परिशिष्ट "ख"

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	54700	13120	67820	55980	11840
2022-23	11840	13120	24960	0	24960

(R) M

- 29 -

पैरा संख्या 7.2 में संयोजित परिशिष्ट 'ग'

ग्राम पंचायत मोमन्यार विकास खंड बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)


दिनांक 31/03/23 तक दुकान किराये के रूप में वसूली हेतु शेष किराये का विवरण

क्रम संख्या	गतशेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंतिम शेष
2021-22	0	18000	18000	15600	2400
2022-23	2400	18000	20400	19600	800


(R) m
मोमन्यार विकास
खंड बंगाणा
जिला ऊना
हि०प्र०

List of outstanding Shop Rent period 04/2021 to 03/2022 in r/o Gram Panchayat- Momniar, Block Bangana							
Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	jaswant singh	0	8400	8400	8400	0
2	2	shiv lal	0	4800	4800	3600	1200
3	3	shiv lal	0	4800	4800	3600	1200
total			0	18000	18000	15600	2400

List of outstanding Shop Rent period 04/2022 to 03/2023 in r/o Gram Panchayat- Momniar, Block Bangana							
Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	jaswant singh	0	8400	8400	8400	0
2	2	shiv lal	1200	4800	6000	5600	400
3	3	shiv lal	1200	4800	6000	5600	400
total			2400	18000	20400	19600	800


 Gram Panchayat Momniar
 Block Bangana Dist. (H.P.)

~~21~~
 32



Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

2021-22


Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2021	Due for the year 2021-22	Total	Rental realized during 2021-22	Outstanding as on 31.03.2022
1	Reliance	00	5000	5000	00	5000
	Total	00	5000	5000	00	5000

नोट:- दिनांक 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत द्वारा मोबाइल टावरों के शुल्क की वसूली से सम्बंधित रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 01.04.2021 को कितना मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष था, की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी।

2022-23

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2022	Due for the year 2022-23	Total	Rental realized during 2022-23	Outstanding as on 31.03.2023
1	Reliance	5000	00	5000	00	5000
	Total	5000		5000		5000

Note: - Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T Department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure it is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Gram Panchayat.


Panchayat Secretary
Gram Panchayat Member
Gram Panchayat, (P.T.)

32

33

पंचायत संख्या 8.1 में सन्दर्भित परिवार 'डू'

ग्राम पंचायत सोमन्यार, विकास खंड बंगणगा, जिला ऊना

क्रम संख्या	योजना संख्या	वाडवर संख्या	शुभारतन माह	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आयुक्तिकर्ता	सामग्री मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फेक्टर	मात्रा टन में	वैय रकम (प्रति टन)	राशि
1	अनुदान (प्लानिंग शीर्षक)		Jul-21	C/O LR GSSS BOUL TO SHAMSHANGHAT	71	09-09-2020	RANA CONSTRUCTION VILL. KHURWAIN	बजरी 15	1.52	22.8	80	1824
2	अनुदान (प्लानिंग शीर्षक)		Jul-21	C/O LR GSSS BOUL TO SHAMSHANGHAT	70	09-09-2020	RANA CONSTRUCTION VILL. KHURWAIN	बजरी 72	1.52	109.4	80	8755.2
3	अनुदान (प्लानिंग शीर्षक)		Jul-21	C/O PANCHAYAT COMMUNITY CENTRE	99	20-09-2020	RANA CONSTRUCTION VILL. KHURWAIN	रेत 40	1.62	64.8	80	5184
4	अनुदान (प्लानिंग शीर्षक)		Jul-21	C/O PANCHAYAT COMMUNITY CENTRE	99	20-09-2020	RANA CONSTRUCTION VILL. KHURWAIN	बजरी 4	1.52	6.08	80	486.4
5	मनरेगा (श्रीर्षक)	272	22-Jul	निर्माण लिक रोड में रोड से मनोहर लाल ,जगदेव आदि कवाड़ी	1	24/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS VILL. Khurwain	रेत 28	1.62	45.36	80	3628.8
6	मनरेगा	273	22-Jul	निर्माण लिक रोड में रोड से मनोहर लाल ,जगदेव आदि कवाड़ी	3	25/12/2021	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरी 50	1.52	76	80	6080
7	मनरेगा	274	22-Jul	निर्माण लिक रोड में रोड से मनोहर लाल ,जगदेव आदि कवाड़ी	7	26/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS VILL. Khurwain	रेत 20	1.62	32.4	80	2592
8	मनरेगा	275	22-Jul	निर्माण लिक रोड में रोड से मनोहर लाल ,जगदेव आदि कवाड़ी	9	26/12/2021	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरी 52	1.52	79.04	80	6323.2
9	मनरेगा	276	22-Jul	निर्माण लिक रोड में रोड से मनोहर लाल ,जगदेव आदि कवाड़ी	13	27/12/2021	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरी 52	1.52	79.04	80	6323.2
10	मनरेगा	281	22-Jul	निर्माण लिक रोड में रोड से मनोहर लाल ,जगदेव आदि कवाड़ी	26	02-09-2022	RANA CONSTURCUTIONS VILL. Khurwain	रेत 44	1.62	71.28	80	5702.4

33 - 34

14

15

11	मनरेगा	282	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से मनोहर लाल, जगदेव आदि कावाडी	27	02-09-2022	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरार	40	1.52	60.8	80	4864
12	मनरेगा	294	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से गुरचरण सिंह अम्बे वा बेहडा	2	24/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS VIII.	रैत	32	1.62	51.84	80	4147.2
13	मनरेगा	295	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से गुरचरण सिंह अम्बे वा बेहडा	4	25/12/2021	Khurwain RAMESH CHAND VPO	बजरसी	50	1.52	76	80	6080
14	मनरेगा	296	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से गुरचरण सिंह अम्बे वा बेहडा	8	26/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS VIII.	रैत	20	1.62	32.4	80	2592
15	मनरेगा	297	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से गुरचरण सिंह अम्बे वा बेहडा	10	26/12/2021	Khurwain RAMESH CHAND VPO	बजरसी	52	1.52	79.04	80	6323.2
16	मनरेगा	302	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से गुरचरण सिंह अम्बे वा बेहडा	25	02-09-2022	RANA CONSTURCUTIONS VIII.	रैत	40	1.62	64.8	80	5184
17	मनरेगा	303	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से गुरचरण सिंह अम्बे वा बेहडा	26	02-09-2022	Khurwain RAMESH CHAND VPO	बजरार	44	1.52	66.88	80	5350.4
18	मनरेगा	304	22-Jul	निर्माण लिंक रोड में रोड से गुरचरण सिंह अम्बे वा बेहडा	28	02-10-2022	RANA CONSTURCUTIONS VIII.	रैत	12	1.62	19.44	80	1555.2
19	मनरेगा	320	22-Jul	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक केंद्र से मोहिंदर, प्रताप सिंह आदि मोहबास	2	24/12/2021	Khurwain RAMESH CHAND VPO	बजरसी	51	1.52	77.52	80	6201.6
20	मनरेगा	321	22-Jul	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक केंद्र से मोहिंदर, प्रताप सिंह आदि मोहबास	4	24/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS VIII.	रैत	44	1.62	71.28	80	5702.4
21	मनरेगा	322	22-Jul	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक केंद्र से मोहिंदर, प्रताप सिंह आदि मोहबास	8	25/12/2021	Khurwain RAMESH CHAND VPO	बजरसी	52	1.52	79.04	80	6323.2
22	मनरेगा	323	22-Jul	निर्माण लिंक रोड अम्बर रोड से हरदीप सिंह रणजीत सिंह मोहबास	10	26/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS VIII.	रैत	20	1.62	32.4	80	2592
23	मनरेगा	324	22-Jul	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक केंद्र से मोहिंदर, प्रताप सिंह आदि मोहबास	12	26/12/2021	Khurwain RAMESH CHAND VPO	बजरसी	40	1.52	60.8	80	4864

34-35



24	मनरेगा	328	22-Jul	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक केंद्र से मोहिनर, प्रताप सिंह आदि मोहखामस	23	02-09-2022	RANA CONSTURCUTIONS Vill.	रैत	32	1.62	51.84	80	4147.2
25	मनरेगा	329	22-Jul	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक केंद्र से मोहिनर, प्रताप सिंह आदि मोहखामस	25	02-09-2022	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजररा	40	1.52	60.8	80	4864
26	मनरेगा	342	22-Jul	निर्माण लिंक रोड शमशान घाट से हरिजना बस्ती मोहखामस	5	26/12/2021	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरसी	51	1.52	77.52	80	6201.6
27	मनरेगा	343	22-Jul	निर्माण लिंक रोड शमशान घाट से हरिजना बस्ती मोहखामस	6	26/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS Vill.	रैत	48	1.62	77.76	80	6220.8
28	मनरेगा	347	22-Jul	निर्माण लिंक रोड शमशान घाट से हरिजना बस्ती मोहखामस	27	02-09-2022	Khurwain	रैत	16	1.62	25.92	80	2073.6
29	मनरेगा	364	22-Jul	निर्माण लिंक रोड झम्बर रोड से हरदीप सिंह रणजीत सिंह मोहखामस	1	24/12/2021	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरसी	50	1.52	76	80	6080
30	मनरेगा	365	22-Jul	निर्माण लिंक रोड झम्बर रोड से हरदीप सिंह रणजीत सिंह मोहखामस	3	24/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS Vill.	रैत	44	1.62	71.28	80	5702.4
31	मनरेगा	366	22-Jul	निर्माण लिंक रोड झम्बर रोड से हरदीप सिंह रणजीत सिंह मोहखामस	7	25/12/2021	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरसी	50	1.52	76	80	6080
32	मनरेगा	367	22-Jul	निर्माण लिंक रोड झम्बर रोड से हरदीप सिंह रणजीत सिंह मोहखामस	9	26/12/2021	RANA CONSTURCUTIONS Vill.	रैत	30	1.62	48.6	80	3888
33	मनरेगा	368	22-Jul	निर्माण लिंक रोड झम्बर रोड से हरदीप सिंह रणजीत सिंह मोहखामस	11	26/12/2021	RAMESH CHAND VPO Khurwain	बजरसी	50	1.52	76	80	6080
34	मनरेगा	372	22-Jul	निर्माण लिंक रोड झम्बर रोड से हरदीप सिंह रणजीत सिंह मोहखामस	24	02-09-2022	RANA CONSTURCUTIONS Vill.	रैत	40	1.62	64.8	80	5184
												योग	165200
												पेनल्टी 25%	41300
												कुल योग	206500

35-36

RAN

W



कार्यालय ग्राम पंचायत मोमन्यार विकास खंड बंगाना जिला ऊना HP						
माह जुलाई 2022 में RAMESH CHAND VIII. Khurwain को किया गया भुगतान का विवरण						
क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल सं.	दिनांक	राशी
1	RAMESH CHAND VPO Khurwain	273	जुलाई 2022	3	25/12/2021	48300
2	RAMESH CHAND VPO Khurwain	275	जुलाई 2022	9	26/12/2021	50200
3	RAMESH CHAND VPO Khurwain	276	जुलाई 2022	13	27/12/2021	50440
4	RAMESH CHAND VPO Khurwain	282	जुलाई 2022	27	9/2/2022	46560
5	RAMESH CHAND VPO Khurwain	295	जुलाई 2022	4	25/12/2021	48300
6	RAMESH CHAND VPO Khurwain	297	जुलाई 2022	10	26/12/2021	50200
7	RAMESH CHAND VPO Khurwain	303	जुलाई 2022	26	9/2/2022	42680
8	RAMESH CHAND VPO Khurwain	320	जुलाई 2022	2	24/12/2021	49150
9	RAMESH CHAND VPO Khurwain	322	जुलाई 2022	8	25/12/2021	50440
10	RAMESH CHAND VPO Khurwain	324	जुलाई 2022	12	26/12/2021	46560
11	RAMESH CHAND VPO Khurwain	329	जुलाई 2022	25	9/2/2022	38800
12	RAMESH CHAND VPO Khurwain	342	जुलाई 2022	5	26/12/2021	49150
13	RAMESH CHAND VPO Khurwain	364	जुलाई 2022	1	24/12/2021	48100
15	RAMESH CHAND VPO Khurwain	366	जुलाई 2022	7	25/12/2021	48500
16	RAMESH CHAND VPO Khurwain	368	जुलाई 2022	11	26/12/2021	48500
					कुल योग	715880

R/In
 Ramesh Chand VIII
 Khurwain
 09/07/2022



कार्यालय ग्राम पंचायत मोमन्यार विकास खंड बंगाना जिला ऊना HP

माह जुलाई 2022 में RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain को किया गया भुगतान का विवरण

क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल सं.	दिनांक	राशी
1	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	272	जुलाई 2022	1	24/12/2021	31248
2	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	274	जुलाई 2022	7	26/12/2021	22320
3	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	281	जुलाई 2022	26	9/2/2022	49104
4	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	294	जुलाई 2022	2	24/12/2021	35712
5	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	296	जुलाई 2022	8	26/12/2021	22320
6	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	302	जुलाई 2022	25	9/2/2022	44640
7	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	304	जुलाई 2022	28	10/2/2022	13392
8	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	321	जुलाई 2022	4	24/12/2021	49104
9	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	323	जुलाई 2022	10	26/12/2021	22320
10	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	328	जुलाई 2022	23	9/2/2022	35712
11	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	343	जुलाई 2022	6	26/12/2021	49568
12	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	347	जुलाई 2022	27	9/2/2022	14856
13	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	365	जुलाई 2022	3	24/12/2021	49104
14	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	367	जुलाई 2022	9	26/12/2021	33480
15	RANA CONSTURCUTIONS Vill. Khurwain	372	जुलाई 2022	24	9/2/2022	43640
					कुल योग	516520

